न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) मऊ, चित्रकूट ।

मूलवाद संख्या 37/2011

मज्जन अली बनाम धपनत आदि

दिनांक 4.12.2017

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित । वादी की ओर से प्राथ्रना पत्र 46क1 मय शपथ पत्र 47ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि टंकण की त्रुटि के कारण प्रतिकर प्रार्थना के नीचे विवरण में गाटा संख्या 218 मात्र टाइप है जबकि 218क टाइप होना चाहिए । नक्शा नजरी में भी गाटा संख्या 218 के आगे क लिखा जाना आवश्यक है । वादी द्वारा संशोधन किये जाने की याचना की गयी है ।

प्रतिवादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध आपत्ति 48ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र संशोधन विधि विरूद्ध व गलत है तथा निरस्त किये जाने योग्य है । वादी द्वारा पूर्व में वादपत्र में पार्टी संशोधन हेतु संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है पुनः वाद को लम्बित करने की वजह से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि विधि विरूद्ध । वादी को अपने गाटा संख्या 218क की पूर्णरूप से जानकारी होने के बावजूद अपने वादपत्र में सही गाटा संख्या नहीं प्रदर्शित किया गया है ।

सुना पत्रावली का अवलोकन किया । अवलोकन से विदित है कि प्रार्थना पत्र संशोधन विलंब से प्रस्तुत किया गया है । वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उक्त त्रुटि लिपिकीय प्रकार की है । उक्त संशोधन को स्वीकार कये जाने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है । जहां तक प्रार्थना पत्र संशोधन विलंब से प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है, उसकी प्रतिपूर्ति प्रतिवादीगण को हर्जे से करायी जा सकती है । न्यायहित में प्रार्थना पत्र संशोधन 46क1 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र संशोधन 46क1 मु0 100/—हर्जे पर स्वीकार जाता है । आपत्ति तदनुसार निस्तारित की जाती है । उक्त संशोधन अंदर सप्ताह किया जाए । पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 23.1.2018 को पेश हो ।

सिविल जज (जू0डि0) मऊ, चित्रकूट ।